



चिकित्सकीय रिकॉर्ड्स तक पहुँचने के लिए मार्गदर्शन

मरीज़ के रिकॉर्ड्स में शामिल हैं:

- GP और अस्पताल के डॉक्टर के रिकॉर्ड्स।
- नर्सिंग रिकॉर्ड्स, और अन्य NHS कर्मियों द्वारा बनाये गये रिकॉर्ड्स।
- आपकी प्रैक्टिस, क्लिनिक या अस्पताल की मुलाकात के रिकॉर्ड्स।
- आपसे की गई मुलाकातों के रिकॉर्ड्स।
- इलाज, दवाई, परीक्षण और उनके परिणाम, निदान, रेफरल, आदि के विवरण।

आपके अधिकार:

डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1998 (1998 के जानकारी की सुरक्षा कानून) के तहत आपको अपने रिकॉर्ड्स देखने का अधिकार है, अलावा इसके कि:

- आपके डॉक्टर का यह मानना हो कि ऐसा करने से आपको या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।

नोट: यह इन्कार आप के रिकॉर्ड्स के किसी हिस्से पर लागू हो सकता है, और आपको ऐसे आंशिक इन्कार के बारे में बताना अनिवार्य नहीं है। यह पूछने जैसा सवाल है कि क्या आपके रिकॉर्ड्स का कोई ऐसा हिस्सा है, जो उपलब्ध नहीं कराया गया है।

- उन्हें उपलब्ध कराने के लिए ट्रस्ट अथवा GP प्रैक्टिस को “न्यूनधिक प्रयास” करने होंगे।

नोट: न्यूनधिक प्रयास की व्याख्या नहीं की गई है, परंतु आपकी आपके रिकॉर्ड्स तक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिए इस धारा के दुरुपयोग के खिलाफ डेटा प्रोटेक्शन इन्फर्मेशन कमिश्नर ने चैतावनी दी है।

आपके रिकॉर्ड्स के लिए आवेदन करना:

- आपको अपने रिकॉर्ड्स देखने के लिए आवेदन करना होगा, और कुछ GP प्रैक्टिसों और ट्रस्टों के पास इस के लिए खास बनाये गये फॉर्म होते हैं, जो कि आपको पूरा करने को कहा जाता है। अधिकतर ट्रस्ट्स में कोई खास व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी है ऐसे आवेदनों की पूर्ति करना।
- रिकॉर्ड उन्हें देखने के लिए आवेदन किये जाने के 40 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिये जाने चाहिए, या फिर 21 दिनों के भीतर, यदि उन्हें पिछले 40 दिनों के भीतर जोड़ा गया है।
- ट्रस्टों और GP प्रैक्टिसों को पिछले 40 दिनों में न जोड़े गये हों ऐसे रिकॉर्ड देखने के लिए आपसे शुल्क वसूलने की अनुमति है। यह शुल्क £10 से अधिक नहीं होना चाहिए।



- ट्रस्टों और GP प्रैक्टिसों को आपको रिकॉर्ड में से ऐसी कोई भी बात समझानी होगी, जो कि पढ़ने में आसान नहीं है, या फिर जो ऐसी तकनीकी भाषा उपयोग करती है, जो आपको समझ में नहीं आती।
- यदि आपको रिकॉर्ड्स की प्रतियाँ चाहिए, तो ट्रस्ट्स अथवा GP प्रैक्टिस आपको अधिकतम £50 तक पोस्टेज और फोटोकॉपी का शुल्क लगा सकते हैं। इसमें, अगर लगाया जाए तो £10 का शुल्क शामिल है। अगर आप अपने रिकॉर्ड्स में से किसी चीज को अपनी शिकायत में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो प्रतियाँ बनवा लेना ही अच्छा है।
- यदि आप किसी और के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो मरीज़ को आपको ऐसा करने के लिए लिखित अधिकारपत्र देना होगा। इसमें यदि बच्चा मुद्दे समझने को सक्षम हो, तो बच्चे के रिकॉर्ड देखने के लिए आवेदन करने वाले माता-पिता शामिल हैं। जब अक्षमता अथवा किसी रोग की वजह से मरीज़ अनुमति देने को सक्षम नहीं है, तो आप कानूनी सलाह माँग सकते हैं और कोर्ट से अधिकरण प्राप्त कर सकते हैं।
- किसी मृत व्यक्ति से के किस्से में रिकॉर्ड्स केवल किसी निजी प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रतिनिधि सामान्यतया कोई निर्वाहक, अथवा मृत्यु से निष्पन्न क्लेइम की प्राप्ति की माँग करने वाला होता है, अलावा इसके, कि मृत व्यक्ति ने रिकॉर्ड्स में स्पष्ट रूप से आवेदन किया हो, कि वे नहीं चाहते कि उस व्यक्ति को उनके रिकॉर्ड्स को पहुँच प्राप्त हो।

अगर आपको लगता है कि हमारे रिकॉर्ड्स गलत हैं, तो आप उन्हें सुधारे जाने की माँग कर सकते हैं। यदि ट्रस्ट या डॉक्टर आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं, उनसे असहमत हों, तो आपकी असहमति को रिकॉर्ड करती हुई एक नोट रिकॉर्ड्स में जोड़ी जाने की माँग करें।

इस संबंध में कोई भी शिकायत डेटा प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से की जा सकती है।

